र. एन. मित्तल, न्यायाधीश के समक्ष

मेसर्स राम चंदर अर्जन दास, कपास व्यापारी,

हांसी,—याचिकाकर्ता।

बनाम

मेसर्स नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,—प्रतिवादी

सिविल पुनरीक्षण संख्या 1972/1981

23 अगस्त, 1982

मध्यस्थता अधिनियम (X का 1940)—धारा 20 और 41(अ)—सिविल प्रक्रिया संहिता (V का 1908)—आदेश 47 नियम 1—धारा 20 के तहत मध्यस्थता के लिए विवाद का उल्लेख–संदर्भ का आदेश–क्या समीक्षा की जा सकती है।

"यह स्थापित किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 41(अ) की परीक्षा से यह स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के सभी प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। हालांकि, इस नियम का एक अपवाद है, और वह यह है कि यदि अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान हो जो संहिता के प्रावधानों के विरोधाभासी हो, तो पूर्व लागू होगा। यह अस्वीकृत नहीं है कि अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो मध्यस्थता अधिनियम के तहत कार्य करने वाले न्यायालय से समीक्षा की शक्ति को हटा देता हो। उस स्थिति में, मध्यस्थता अधिनियम के तहत मामलों का निर्णय करते समय न्यायालयों के लिए समीक्षा की शक्ति लागू होती है। इसलिए, मध्यस्थता के लिए एक विवाद को संदर्भित करने वाला आदेश समीक्षा किया जा सकता है।

(पैरा 7)

धारा 115 सीपीसी के अंतर्गत श्री बी. के. गुप्ता, एच.सी.एस. सब-जज, प्रथम श्रेणी, हांसी द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1981 को दिए गए आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका, जिसमें प्रतिवादियों की अर्जी को स्वीकार किया गया था, और विवादित आदेश को निरस्त कर दिया गया था।

मेसर्स राम चंदर अर्जन दास, कपास व्यापारी, हांसी बनाम मेसर्स। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (आर. एन. मित्तल, जे.)

जसवंत जैन, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

बी. एस. गुप्ता, एस. के. मित्तल के साथ, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

राजेन्द्र नाथ मित्तल, जे. (मौखिक)

1. यह पुनरीक्षण याचिका हांसी के अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी द्वारा 31 जुलाई, 1931 को दिए गए आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें मेसर्स नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रतिवादी द्वारा दायर समीक्षा की अर्जी को स्वीकार किया गया था।

2. संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत एक याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता ने श्री भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी को अड़तीस हजार रुपये मूल्य का कपास आपूर्ति किया, जिसमें से बाद वाले ने बत्तीस हजार रुपये का भुगतान किया; इस प्रकार, 6,100 रुपये का बैलेंस बचा। आरोप है कि याचिकाकर्ता और श्री भारती मिल्स लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार यह सहमति बनी कि बाद वाला प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित 6,100 रुपये का भुगतान किश्तों में करेगा। बाद में, श्री भारती मिल्स लिमिटेड का 1 अप्रैल, 1974 से राष्ट्रीयकरण किया गया, और प्रतिवादी ने उक्त मिल्स की सभी देनदारियों और संपत्तियों को अपने अधीन कर लिया। श्री भारती मिल्स लिमिटेड ने सहमति के अनुसार शेष राशि का भुगतान नहीं किया और परिणामस्वरूप उनके बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। पक्षों ने विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए सहमति जताई। फिर प्रतिवादी को मध्यस्थ के पास मामले को संदर्भित करने के लिए एक पंजीकृत नोटिस भेजा गया, लेकिन इसने ऐसा करने में असफलता प्राप्त की। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रतिवादी को अनुबंध दायर करने और निर्णय के लिए मध्यस्थ को संदर्भित करने के निर्देश दिए गए।

3. प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन किया। उसने अनुबंध के बारे में अज्ञानता व्यक्त की। इसके अलावा, उसने यह भी दलील दी कि यदि याचिकाकर्ता और श्री भारती मिल्स लिमिटेड

के बीच कोई अनुबंध था, तो वह रुग्ण वस्त्र उद्योग (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 की धारा 5(1) और (2) के तहत प्रतिवादी पर बाध्यकारी नहीं था।

4. अधीनस्थ न्यायाधीश ने 27 मार्च, 1981 को मामले को मध्यस्थ के पास संदर्भित करने का आदेश दिया। उस आदेश के मद्देनजर, यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी के वकील ने श्री अमर सिंह को मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए कोई आपत्ति नहीं उठाई। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने मामले को श्री अमर सिंह, अधिवक्ता, को मध्यस्थ के रूप में संदर्भित किया।

5. प्रतिवादी ने बाद में उक्त आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें विशेष रूप से यह तर्क दिया गया कि 1974 के उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत, याचिकाकर्ता द्वारा श्री भारती मिल्स लिमिटेड के साथ किया गया समझौता उस पर बाध्यकारी नहीं था और न्यायालय, यहां तक कि एक मध्यस्थता अनुबंध होने पर भी, मामले को मध्यस्थ के पास संदर्भित नहीं कर सकता था। उस आवेदन का याचिकाकर्ता ने विरोध किया। अधीनस्थ न्यायाधीश ने आवेदन स्वीकार कर लिया और श्री अमर सिंह, अधिवक्ता, को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता उस आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका के साथ आया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत न्यायालय के पास समीक्षा की शक्ति नहीं थी और परिणामस्वरूप, विवादित आदेश को निरस्त करने के लिए योग्य है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी लंबाई में सुना है और उनके तर्कों पर विचार किया है। हालांकि, मैं उक्त दावे से सहमत नहीं हूं। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41(अ) में सिविल प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) को मध्यस्थता अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू करता है। धारा निम्नलिखित प्रकार से पढ़ी जाती है:

> "41. न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां।–इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन–

(अ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान, इस अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों और सभी अपीलों पर लागू होंगे, और

(b) * * * *"

उपर्युक्त धारा की परीक्षा से यह स्पष्ट है कि कोड के सभी प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम के तहत न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों पर लागू किए गए हैं। हालांकि, इस नियम का एक अपवाद है, और वह यह है कि यदि अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान हो जो संहिता के प्रावधानों के विरोधाभासी हो, तो पूर्व लागू होगा। यह अस्वीकृत नहीं है कि अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो मध्यस्थता अधिनियम के तहत कार्य करने वाले न्यायालय से समीक्षा की शक्ति को हटा देता हो। उस स्थिति में, मेरे विचार में, मध्यस्थता अधिनियम के तहत मामलों का निर्णय करते समय न्यायालयों के लिए समीक्षा की शक्ति लागू होती है। उपर्युक्त विचार में, मुझे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से समर्थन मिलता है जो **श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी**,[1] मामले में दिया गया था। उस मामले में, न्यायालय ने औद्योगिक विवाद (अपीलीय ट्रिब्यूनल) अधिनियम, 1950 के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल की समीक्षा की शक्तियों के साथ निपटाया था, जिसमें एक समान प्रावधान शामिल है।उस अधिनियम की धारा 9 अपीलीय ट्रिब्यूनल की शक्तियों और प्रक्रिया से संबंधित है। उसके उप-धारा (10) में यह प्रावधान है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल को ऐसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जैसा कि नियमित किया जा सकता है और इसके अधीन, वह अपने अभ्यास और प्रक्रिया को आदेश द्वारा विनियमित कर सकता है और सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम, या इसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के साथ विरोधाभासी नहीं हैं, अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे। गजेंद्रगडकर, जे., जैसा कि उन्होंने तब थे, न्यायालय की ओर से बोलते हुए, निम्नलिखित प्रकार से टिप्पणी की:-

"..... इस अपील में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया पहला बिंदु अपीलीय ट्रिब्यूनल के अपने आदेशों की समीक्षा उचित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के तहत करने की अधिकार क्षेत्र के बारे में है। इस न्यायालय को हाल ही में **मेसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम आर. एन. बनर्जी** [2] में श्रम अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाहियों पर सिविल प्रक्रिया संहिता की उपयुक्तता के सवाल पर विचार करने का अवसर मिला।

[1] A.I.R. 1958 S.C.153
[2] A.I.R. 1958 S.C. 79

औद्योगिक विवाद (अपीलीय ट्रिब्यूनल) अधिनियम, 1950 की धारा 9(1) और धारा 10, साथ ही अधिनियम के तहत बनाए गए संबंधित नियमों और आदेशों पर विचार किया गया और यह निर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होती है, जिसका परिणाम यह है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 21 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, साथ ही संहिता की धारा 151 के तहत भी। यह सच है कि इस मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के प्रावधानों की उपयुक्तता पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सिविल प्रक्रिया संहिता श्रम अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होती है, तो यह स्पष्ट है कि आदेश 47 के प्रावधान इन कार्यवाहियों पर उतने ही लागू होंगे जितने कि संहिता की धारा 151 या आदेश 41 के प्रावधान। हमें तदनुसार यह मानना होगा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष निकालने में कानूनी भूल की कि उसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के प्रावधानों के तहत अपने आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।" (रेखांकन द्वारा प्रदत्त जोर)।

अतः, मैं विद्वान वकील के तर्क को अस्वीकार करता हूं।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का अगला प्रस्तावना यह है कि समीक्षा आवेदन समय सीमा के भीतर नहीं था। इस तर्क से मैं भी प्रभावित नहीं हूं। आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए दिनों की गणना करने के बाद, आवेदन तीस दिनों के भीतर दायर किया गया था। इस प्रकार, यह समय सीमा के भीतर है।

9. उपर्युक्त कारणों के लिए, मुझे पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखाई देती और मैं इसे खारिज करता हूं। कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

मेसर्स राम चंदर अर्जन दास, कपास व्यापारी, हांसी बनाम मेसर्स। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (आर. एन. मित्तल, जे.)

रेवाड़ी, हरियाणा